

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-08/2024

/खाद्य,पटना, दिनांक-

प्रेषक,

मो० नैय्यर इकबाल
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-कटिहार।

विषय :- मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड 18-3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-3576 दिनांक-01.04.2024, पत्रांक-214/वि० दिनांक-06.03.2024, पत्रांक-730/वि० दिनांक-09.12.2024 एवं पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :-

तालिका

क्र०	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 वेतन	0002.01 01 वेतन	62,89,63,000	00
		0002.01 03 जीवन यापन भत्ता	34,50,40,000	00
		0002.01 04 मकान किराया भत्ता	10,22,34,000	00
		0002.01 05 परिवहन भत्ता	1,17,93,000	00
		0002.01 06 चिकित्सा भत्ता	1,16,76,000	00
		0002.01 07 अन्य भत्ता	10,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.01-वेतन		1,10,07,06,000	00
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0002.06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	30,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		30,00,000	00
3	11 यात्रा व्यय	0002.11 01 यात्रा व्यय	67,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.11-यात्रा व्यय		67,00,000	00
4	13 कार्यालय व्यय	0002.13 01 कार्यालय व्यय	1,00,00,000	00
		0002.13 02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	4,00,000	00
		0002.13 03 दूरभाष	5,00,000	00
		0002.13 04 विद्युत प्रभार	2,32,00,000	00
		0002.13 05 विधि प्रभार	3,00,000	00
		0002.13 06 वर्दी/पोशाक	0	00
		0002.13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	2,25,00,000	00

page no-2/3

	योग-18-3456.00.001.0002.13-कार्यालय व्यय		5,69,00,000	00
5	14 किराया महसूल एवं कर	0002.14 01 किराया महसूल एवं कर	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.14-किराया महसूल एवं कर		1,000	00
6	16 प्रकाशन और मुद्रण	0002.16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	47,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.16-प्रकाशन और मुद्रण		47,00,000	00
7	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	1,000	00
	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 03 प्रशिक्षण व्यय	20,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		20,01,000	00
8	21 सामग्री और पूर्तिया	0002.21 01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.21-सामग्री एवं पूर्तियाँ		1,000	00
9	26 विज्ञापन और प्रकाशन	0002.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन	50,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.26-विज्ञापन और प्रकाशन		50,00,000	00
10	28-व्यवसायिक सेवायें	00 02.28 02 संविदा सेवायें	2,00,00,000	3,00,000
	योग-18-3456.00.001.0002.28 व्यवसायिक सेवायें		2,00,00,000	3,00,000
11	51 मोटर वाहन	0002.51 01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0002.51 मोटर वाहन		1,000	00
कूल योग-18-3456.00.001.0002 जिला प्रभार			1,19,90,10,000	3,00,000

2. कुल 3,00,000/- (तीन लाख) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है।

: ख :

क्र० स०	जिला कार्यालय का नाम	विकित्सा प्रतिपूर्ति 06 01	कार्यालय व्यय 13 01	प्रकाशन एवं मुद्रण 16 01	भाड़े की गाड़ी का भुगतान 13 10	संविदा सेवाएँ 28 02	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला पदाधिकारी, कटिहार	0	0	0	0	300000	300000
	कुल योग:-	0	0	0	0	300000	300000

3. उक्त व्यय का वहन मुख्यशीर्ष-3456, सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं०-18-3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक-3576 दिनांक-01.04.2024, पत्रांक-214/वि० दिनांक-06.03.2024, पत्रांक-730/वि० दिनांक-09.12.2024 एवं पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5. जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवा निवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेंगे ताकि वैसे मामलों में न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।

6. वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय नहीं हो सकने वाली राशि का प्रत्यपण ससमय आवश्यक कर दिया जाए।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-08/2024

/खाद्य,पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-08/2024

/खाद्य,पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-08/2024

/खाद्य,पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)-08/2024

/खाद्य,पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Signed by

Md Nayyer Iqbal

सरकार के विशेष सचिव।

Date: 03-03-2025 16:18:52